न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 48/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मृतक प्रतापाराम वल्द मकनाराम के कायम मुकाम– 1/1 दरियादेवी पत्नि स्व. प्रतापाराम 1/2 दियालीदेवी पुत्री स्व. प्रतापाराम 1/3 नरेश कुमार पुत्र स्व. प्रतापाराम 1/4 मुकेश कुमार पुत्र स्व. प्रतापाराम 2. बबीदेवी पत्नि बगूराम 3. लच्छाराम पुत्र धुंखाराम जातियान – भील निवासीयान रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा, जिला – सांचौर		1. अमृत वल्द पूरा 2. मृतक आशु वल्द पूरा कुंआरा नाऔलाद फौत जरिये द्वितीय श्रेणी के भाई कायम मुकामः– 2/1 अमृत वल्द पूरा 2/2 कीका वल्द पूरा 2/3 डायी पुत्री पूरा 2/4 मृतक मसरा पुत्र पूरा के कायम मुकाम :– 2/4 (1) लखाराम पुत्र मसरा 2/4 (2) गजरा पुत्र मसरा 2/5 रमेश पुत्र पूरा 3. कीका वल्द पूरा 4. डायी पुत्री पूरा 5. मृतक मसरा पुत्र पूरा के कायम मुकाम :– 5/1 लखाराम पुत्र मसरा 5/2 गजरा पुत्र मसरा 6. रमेश पुत्र पूरा 7. धूंखाराम पुत्र सामाराम जातियान – भील निवासीयान रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा, जिला सांचौर 8. हेमाराम वल्द रूपाराम जाति– भील निवासी दयालपुरा, तहसील आहोर, जिला जालोर 9. तहसीलदार भूमिधारी, रानीवाड़ा

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी के अधिवक्ता श्री पुखराज विश्नोई
2. प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 14.02.2024

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के सामलाती संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1257 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म भूमि गैर मु. आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि किस्म गै. मु. ढाणी में वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के नाम सामलाती जमीन होने से आपस में उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग – उपभोग में सामलाती रूप से भारी परेशानी हो रही है। तथा मौके पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज सह खातेदार हिस्से अनुसार अलग–अलग कब्जा एवं उपयोग उपभोग अलग करने हेतु कालान्तर में प्रत्येक काश्तकार खातेदारान के परिवार में बच्चों के बड़े होकर बहुएं आने पर हमेशा अपने – अपने बंट एवं उपयोग उपभोग को लेकर लड़ाई टंटा एवं विवाद होने लग गए हैं। जिससे मोके पर उक्त कृषि भूमि किस्म गै.मु. ढाणी को मौके पर कब्जा एवं भूमि के उपयोग उपभोग की सुविधानुसार प्रेमपूर्वक विभाजन करने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगणों को निवेदन किया परन्तु आपस में प्रतिवादीगणों द्वारा वादीगणों को उनके कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा नहीं करवाना चाहते हैं। तथा प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से से अधिक जमीन वादीगणों की जमीन 2/8 हिस्से को हड़फ करना चाहते हैं। जिससे वादीगणों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैं। तथा मौके पर वाद विवाद एवं झगड़े होते रहते हैं।

वादीगण का उक्त सामलाती सह खातेदारी की आराजी मौके पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग अनुसार राजस्व नक्शा का नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' कायम किया गया हैं। जिसमें पार्क ए. बी. सी. डी. लाल रंग में दर्शाया गया 1/8 – 1/8 कुल 2/8 हिस्सा यानि 0.02 हैक्टेयर आराजी का विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्धांत के आधार पर करवाने के वादीगण अधिकारी है। जबकि प्रतिवादीगण उक्त सामलाती कृषि भूमि का विभाजन करवाने से पहले ही किसी अपरिचित क्रेताओं को अवैध रूप से बैचान कर वादीगणों के 2/8 हिस्से के कब्जा शुदा हिस्से से जबरन वंचित करना चाहते हैं जिससे मौके पर भंयकर विवाद उत्पन्न हो सकता हैं।

अतः मौजा रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा की सामलाती सह खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 1257 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म भूमि गैर मुमकिन ढाणी के मौके पर कब्जा एवं भूमि के उपयोग उपभोग की सुविधानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगणों के 2/8 हिस्से एवं दीगर प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज राजस्व हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्धात अनुसार विशेष भूमि भाग जिसे नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाए मार्क ए. बी. सी. डी लाल रंग वाला 2/8 हिस्सा बहक वादीगण बरखिलाफ शेष भूभाग बिना कलर वाला हिस्सा प्रतिवादीगणों के हक में हिस्से अनुसार जमीन व खाते अलग – अलग करके विभाजन की डिक्री सादिर फरमावे, साथ ही माफिक विभाजन वादीगणों के बंट में आने वाली भूमि 2/8 हिस्से पर अवैध कब्जा नहीं करने दे, तथा प्रतिवादीगण किसी भी तरह से दखलंदाजी ना तो स्वयं करे नाही अन्य से करावे मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 9 राजपेरोकार उपस्थित। जिनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया।

3. दिनांक 20.12.2023 को न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ताओं के निवेदन पर विवादीत आराजी मौजा रानीवाडा कलां के खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.08 हेक्टेयर आराजी में खातेदारो के हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार रास्ते की सुविधा देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव की प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये [illegible] से पत्रांक/कोर्ट/ 2024/26 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा प्राथमिक [illegible] की [illegible] पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा [illegible] अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2024/111 दिनांक 08.02.2024 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वांन अधिवक्ताओ को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति दी गई। सहमति स्वरूप आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेस में अंकित रंग
1.	बबीदेवी पत्नि बगूराम कौम भील सा. देह खातेदार	1257	0.08	0.01	गै.मू. ढाणी	गुलाबी
2.	प्रतापाराम पुत्र मकनाराम कौम भील सा. देह खातेदार	1257	0.08	0.01	गै.मू. ढाणी	हरा
3	लछाराम पुत्र धुखाराम हिस्सा 5/18, धुखाराम पुत्र सामाराम हिस्सा 13/18 कौम भील सा. देह खातेदार	1257	0.08	0.0360	गै.मू. ढाणी	पीला
4	अमृत पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, आसू पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, कीका पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, डायी पुत्री पुरा हिस्सा 1/9, मसरा पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, रमेश पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, हेमाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 1/3 जातियान भील सा. देह खातेदार	1257	0.08	0.0240	गै.मू. ढाणी	बैगनी

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। साथ ही उक्त बंटवारे में खातेदार प्रतापाराम वल्द मकनाराम, आसू पुत्र पुरा, मसरा पुत्र पुरा फौत होने से इनके वारीसान रेकर्ड में लिये जा चूके है। अतः इनके विधिक वारीसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण दायर किया जावे। उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 से सरे इजलास सुनाया गया।

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर
पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मृतक प्रतापाराम वल्द मकनाराम के कायम मुकाम– 1/1 दरियादेवी पत्नि स्व. प्रतापाराम 1/2 दियालीदेवी पुत्री स्व. प्रतापाराम 1/3 नरेश कुमार पुत्र स्व. प्रतापाराम 1/4 मुकेश कुमार पुत्र स्व. प्रतापाराम 2. बबीदेवी पत्नि बगूराम 3. लच्छाराम पुत्र धुंखाराम जातियान – भील निवाासीयान रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा, जिला – सांचौर	**बनाम**	1. अमृत वल्द पूरा 2. मृतक आशु वल्द पूरा कुंआरा नाऔलाद फौत जरिये द्वितीय श्रेणी के भाई कायम मुकाम:– 2/1 अमृत वल्द पूरा 2/2 कीका वल्द पूरा 2/3 डायी पुत्री पूरा 2/4 मृतक मसरा पुत्र पूरा के कायम मुकाम :– 2/4 (1) लखाराम पुत्र मसरा 2/4 (2) गजरा पुत्र मसरा 2/5 रमेश पुत्र पूरा 3. कीका वल्द पूरा 4. डायी पुत्री पूरा 5. मृतक मसरा पुत्र पूरा के कायम मुकाम– 5/1 लखाराम पुत्र मसरा 5/2 गजरा पुत्र मसरा 6. रमेश पुत्र पूरा 7. धूंखाराम पुत्र सामाराम जातियान – भील निवासीयान रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा, जिला सांचौर 8. हेमाराम वल्द रूपाराम जाति– भील निवासी दयालपुरा, तहसील आहोर, जिला जालोर 9. तहसीलदार भूमिधारी, रानीवाड़ा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 48/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित व प्रतिवादी संख्या 9 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 से 6 व 8 अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

क.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्ट0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेस में अंकित रंग
1.	बबीदेवी पत्नि बगूराम कौम भील सा. देह खातेदार	1257	0.08	0.01	गै.मू. ढाणी	गुलाबी
2.	प्रतापाराम पुत्र मकनाराम कौम भील सा. देह खातेदार	1257	0.08	0.01	गै.मू. ढाणी	हरा
3	लछाराम पुत्र धुखाराम हिस्सा 5/18, धुखाराम पुत्र सामाराम हिस्सा 13/18 कौम भील सा. देह खातेदार	1257	0.08	0.0360	गै.मू. ढाणी	पीला
4	अमृत पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, आसू पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, कीका पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, डायी पुत्री पुरा हिस्सा 1/9, मसरा पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, रमेश पुत्र पुरा हिस्सा 1/9, हेमाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 1/3 जातियान भील सा. देह खातेदार	1257	0.08	0.0240	गै.मू. ढाणी	बैगनी

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। साथ ही उक्त बंटवारे में खातेदार प्रतापाराम वल्द मकनाराम, आसू पुत्र पुरा, मसरा पुत्र पुरा फौत होने से इनके वारीसान रेकर्ड में लिये जा चूके है। अतः इनके विधिक वारीसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण दायर किया जावे। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14.02.2024 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested